289

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क्र. 243-I/2017

लता पुत्री फुल्ले रावत निवासी-ग्राम बदौना,
तह. व जिला सागर म.प्र. .....आवेदिका

बनाम

म.प्र.शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

उपरोक्त नामांकित आवेदिका न्यायालय श्रीमान कलेक्टर/तहसीलदार सागर के प्रकरण क्रमांक 177/बी-121/2015-16 से परिवेदित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रही है:-

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बदौना स्थित भूमि खसरा नम्बर 314/1 रकवा 0.61 हेक्टे. भूमि राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी हक में आवेदिका एवं उसकी मां श्रीमती बारोलवाली के नाम पर दर्ज है जिसको विक्रय किये जाने हेतु आवेदिका एवं उसकी मां द्वारा सम्मिलित रूप से अनुमति प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तथा प्रकरण के विचाराधीन रहने के दौरान आवेदिका की मां श्रीमती वारोलवाली का स्वर्गवास दिनांक 19.09.2016 को हो गया है, तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही किये जाने के कारण आवेदिका की यह निगरानी ससक्त आधारों पर प्रस्तुत है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विधि विपरीत तरीके से उपयोग करते हुये विधि विरूद्ध कार्यवाही कर आदेश किया गया है जो कि कानूनन वैध नहीं है।
3. यहकि, आवेदिका एवं उसकी मां द्वारा अपना आवेदन पत्र भूमि विक्रय अनुमति प्राप्त करने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक .....R....243–एक/17.....जिला .....सागर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-1-17	1– आवेदक के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर/तहसीलदार सागर जिला सागर म0प्र0 के प्र.क्र. 177/अ–21/वर्ष 15–16 में पारित आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक की भूमि ग्राम मौजा बदौना तह. व जिला सागर स्थित खसरा क्र 314/1 रकवा 0.610 हे भूमि आवेदक एंव आवेदक की मां के नाम पर दर्ज भूमि है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे कलेक्टर सागर द्वारा जांच प्रतिवेदन हेतु तहसीलदार सागर को प्रेषित किया गया तथा प्रकरण के विचाराधीन रहने के दौरान आवेदक की मां का स्वर्गवास हो गया परंतु कलेक्टर सागर द्वारा आज दिनांक तक प्रकरण का विधिवत् कोई निराकरण नहीं किया है जिस कारण यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया था कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि अनउपजाउ है जिस कारण से उनको उसपर काश्तकारी करने में अत्याधिक कठनाई हो रही है तथा वह ठीक तरीके से का तकारी नहीं कर पा रहे है जिस कारण से उनको आर्थिक हानि हो रही है इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	भूमि क्रय करना चाहते हैं जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। उनके द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा भूमि विक्रय का इकरार गिरीश श्रीवास्तव तनय धनीराम श्रीवास्तव निवासी साई वाटिका, सागर एंव कैलाश हासानी तनय प्रकाशचंद हासानी निवासी संत कंवरराम वार्ड सागर से किया गया है तथा वह भूमि को इकरारग्रहीता को विक्रय करना चाहते है। आवेदक का यह भी तर्क है कि चूंकि वह भूमि विक्रय करने के उपरान्त अपने निवास स्थान के समीप ग्राम कोंरजा स्थित भूमि खसरा क्र 257 रकवा 1.30 हे अन्य भूमि क्रय करेगे इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उनके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते हुए निगरानी को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है । 4— उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विकय की जा रही भूमि आवेदक एंव उसकी मां श्रीमति बारोलवारी के नाम पर दर्ज भूमि है तथा प्रकरण के अधीनस्थ न्यायालय में लंबित रहने के दौरान आवेदक की मां का स्वर्गवास हो गया है। कलेक्टर सागर में वर्णित तहसीलादार प्रतिवेदन के बिन्दुओं के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्र नाधीन भूमि का कुछ रकवा कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है। साथ ही साथ प्र नाधीन भूमि को विक्रय करने के उपरांत आवेदक के पास अन्य भूमि शेष बचती है जिस। तथा आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर उसके स्थान पर विक्रय की जा रही भूमि के बराबर अथवा उससे अधिक अन्य भूमि अपने अपने निवास स्थान के समीप क्रय करेगा इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा	

R 243. I/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की आवेदक को मौजा बदौना स्थित भूमि खसरा क्र 314/1 रकवा 0.610 हे भूमि गिरीश श्रीवास्तव एंव कैलाश हासानी को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाईन के मान से विक्रयधन विक्रेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें । सदस्य	